जनवान..

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	निवासी 4PF व सुनीलकुमार पुत्र अशोककुमार जाति ब्राह्मण निवासी 4PF ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली कार्यवाही दिनांक 2/8/19 को निर्णय वास्ते पेश हो। (हस्ताक्षर) 31.7.19	
2/8/19	पत्रावली निर्णय वास्ते पेश हुई। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 10 ओ के मु.नं. 36 64/41 में 6.199 हैक्. नहरी मय खाला में से 0.310 हैक्. नहरी मय खाला भूमि जीवनी पुत्री प्रभुराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख है। यह है कि उक्त रकबा स्व: अर्जित है। यह है कि उक्त रकबे पर कब्जा बारत वसीयतानुसार है। यह है कि उक्त रकबे पर रहन / बेचा नहीं है। यह है कि उक्त रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। यह है कि उक्त रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। यह है कि उक्त रकबा किसी प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित / आवंटित नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक 648-49 दिनांक 19/3/19 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति / एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना, लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति जारी की गई। जो समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 24/3/2019 को पृष्ठ संख्या 5 कॉलम संख्या 6 पर प्रकाशित हुई है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस	

Scanned by CamScanner

अनवान..........

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व हुक्म
	कार्यालय में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। वसीयत में दर्ज गवाह श्री कृष्णलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण के बयानातानुसार वसीयतकर्ता जीवनी पुत्री प्रभुराम जाति मेघवाल ने वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/उत्पीडन के लिखवाई है। वसीयतकर्ता ने अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामंदी से लिखवाई है। मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। मौके पर कब्जा काश्त वसीयतनुसार मंगूराम व बुधराम का है।	
	पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान श्री प्रवेशकुमार पुत्र देशराज जाति ब्राह्मण व सुनीलकुमार पुत्र अशोककुमार जाति ब्राह्मण के बयानातनुसार वसीयतकर्ता जीवनीबाई द्वारा वसीयत पूरे होश हवास में बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/उत्पीडन के लिखवाई है। वसीयतकर्ता ने वसीयत अपनी पूर्ण रजामंदी व अपनी पूर्ण स्वेच्छा से लिखवाई है। मौके पर कब्जा काश्त मंगूराम व बुधराम का है। मौके पर वसीयत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।	
	पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी भारजी चक 10 ओ के मु०नं. 36, 64/41 में 6.199 हैक्. नहरी मय खाला में से 0.310 हैक्. नहरी मय खाला जीवनी पुत्री प्रभुराम के नाम खातेदार	

Scanned by CamScanner

अनवान...

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

दर्ज रिकार्ड है। प्रश्नगत रकबा स्व: अर्जित है। प्रश्नगत रकबे पर कब्जा काश्त वसीयतानुसार है। प्रश्नगत रकबा रहन/बेचान नहीं है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है और न ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है और न ही किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/अवाप्त है। इस कार्यालय द्वारा उक्त वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना लोकप्रिय समाचार पत्र सीमा संदेश दिनांक 24/3/2019 को प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र सीमा संदेश में प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/एतराज प्राप्त नहीं हुये है। गवाहान कृष्णलाल पुत्र बिहारीलाल जाति ब्राह्मण, प्रवेशकुमार पुत्र देशराज, सुनीलकुमार पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण के बयानात अनुसार वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पूरे होशो हवास में बिना किसी नशे पते के और बिना किसी दबाव/उत्पीड़न के अपनी पूर्ण स्वेच्छा से व रजामंदी से वसीयत लिखवाना बाबत अपने बयान दर्ज करवाये है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(1) LR Act के तहत राजस्व अभिलेख में अमल दरामद वसीयत नामान्तकरण हेतु

Scanned by CamScanner

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की ता
	~~[illegible]~~ पुनर्विलोकन में ली जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरणपुर	

Scanned by CamScanner